निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 66/2011 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये महेन्द्र सिंह नूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स गणपित बर्तन भण्डार, पांच्यावाला, जयपुर।
2. श्री कमलेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल, जाति महाजन, धवली महार, सामोद, जिला जयपुर, मालिक फर्म।
3. श्री रामकुंवार बुनकर पुत्र श्री ओमप्रकाश बुनकर धवली महार, सामोद, जिला जयपुर, नोकर फर्म

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी. जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, 08 पीतल की बांसूरी एक इलेक्ट्रोनिक तौल की मशीन, एक लोहे की चद्दर का टीन मय 7630 रूपये को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2011 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों से छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ के साथ मैसर्स विनायक प्लास्टिक, सिरसी रोड पांच्यावाला, जयपुर स्थित गणपति बर्तन भण्डार, पांच्यावाला के गोदाम पर जांच की गई। मौके पर श्री रामकुमार बुनकर पुत्र श्री ओमप्रकाश बुनकर उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को गणपती बर्तन भण्डार का नौकर होना बताया तथा गणपति बर्तन भण्डार व इस गोदाम का मालिक श्री कमलेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल अग्रवाल है, जा मौके से भाग गया है। श्री रामकुमार बुनकर ने यह भी बताया कि श्री कमलेश कुमार व उसके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर विभिन्न कम्पनियों की गैस एजेन्सीज के डिलीवरीमैनो से खरीद कर छोटे सिलेण्डरों में गैस बांसूरी के माध्यम से भरकर बिक्री की जाती है। गवाहान के समक्ष उक्त गोदाम की जांच की गई। जिसमें 20 घरेलू गैस सिलेण्डर 15 आई.ओ.सी. एवं 05 बी.पी.सी. कम्पनी के पाये गये। इस परिसर में नोन आई.एस.आई. मार्का 4 किलोग्राम क्षमता के 34 सिलेण्डर भी पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों से नोन आई.एस.आई. छोटे सिलेण्डरों में गैस स्थानान्तरण करने की पीतल की 08 बांसूरी एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा (तौल मशीन) भी पायी गई। जांच के दौरान ही एक लोहे की चद्दर का टीन 15 किलोग्राम क्षमता का पाया गया, जिस पर ढक्कन लगा हुआ था को खोलने पर 7630 रूपये रखे पाये गये। मौके पर मैसर्स मानसरोवर इण्डेन जयपुर के प्रतिनिधि श्री पुरूषोतम पुत्र श्री सुखचन्द,

जिला कलक्टर
जयपुर

गया। जिसमें 167.400 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। जांच के दौरान श्री रामकुमार बुनकर द्वारा छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में बांसूरी के माध्यम से गैस भरी जा रही थी का वजन कराने पर इस सिलेण्डर का कुल वजन 7.680 किलोग्राम पाया गया। इस खाली सिलेण्डर का वजन 4 किलोग्राम है। इस प्रकार नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डर में 03.680 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पायी, शेष 33 नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डर खाली पाये गये। इस प्रकार श्री कमलेश कुमार अग्रवाल मालिक फर्म व श्री रामकुमार बुनकर नोकर मैसर्स गणपति बर्तन भण्डार, पांच्यावाला, जयपुर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डरों में अवैद्य रूप से गैस स्थानान्तरित कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, 08 पीतल की बांसूरी एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन, एक लोहे की चद्दर मय 7630 रूपये जब्त किये गये। जब्त माल में से 8 पीतली की बांसूरी व एक लोहे की चद्दर का टीन मय 7630 रूपये पुलिस थाना करणी विहार जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 211/2011 दिनांक 13.10.2011 दर्ज करवाकर पुलिस की सुपुर्दगी में दिये गये तथा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स मानसरोवर इण्डेन, जयपुर के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये गये। इस जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 17.10.2011 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित हुये तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स विनयक प्लास्टिक, सिरसी रोड पांच्यावाला, जयपुर स्थित गणपति बर्तन भण्डार, पांच्यावाला के गोदाम पर 20 घरेलू गैस सिलेण्डर 15 आई.ओ.सी. एवं 05 बी.पी.सी. कम्पनी के पाये गये। इस परिसर में नोन आई.एस.आई. मार्का 4 किलोग्राम क्षमता के 34 सिलेण्डर भी पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों से नोन आई.एस.आई. छोटे सिलेण्डरों में गैस स्थानान्तरण करने की पीतल की 08 बांसूरी एवं

जिला कलेक्टर
जयपुर

किलोग्राम क्षमता का पाया गया, जिस पर ढक्कन लगा हुआ था को खोलने पर 7630 रूपये रखे पाये गये। जांच के दौरान श्री रामकुमार बुनकर द्वारा छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में बांसूरी के माध्यम से गैस भरी जा रही थी का वजन कराने पर इस सिलेण्डर का कुल वजन 7.680 किलोग्राम पाया गया। इस खाली सिलेण्डर का वजन 4 किलोग्राम है। इस प्रकार नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डर में 03.680 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पायी, शेष 33 नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डर खाली पाये गये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं नोन आई.एस.आई. मार्का छोटे सिलेण्डरों में अवैद्य रूप से गैस स्थानान्तरित कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 12.10.2011 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 34 छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर, 08 पीतल की बांसूरी एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन, एक लोहे की चद्दर का टीन मय 7630 रूपये पाये गये तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर में बांसूरी के माध्यम से गैस भरी जा रही थी। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में गैस स्थानान्तरण करने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस. आई. मार्का सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 20 घरेलू गैस सिलेण्डर (15 आई.ओ.सी., 05 बी.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 167.400 किलोग्राम, 34 छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 17.10.2011 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)